अवसर चाहा। अवसर दिया गया।
पत्रावली बाबत जवाब प्रार्थना पत्र
दि. 12.6.24 को पेश होवे।
SDO

12.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद बिविधता बढ़ेगी। तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा नया गांव गोबर में खाता सं. 79, ख.सं. 27 कुल रकबा 0.6637 हैक्ट. में एवं ख.सं. 18, 19 खेत किता 2 कुल रकबा 0.2185 हैक्ट. भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। दोनों पक्ष एक-दूसरे को अपनी-अपनी कब्जेशुदा भूमि में काश्त करने में रुकावट पैदा न करें। दोनों पक्ष रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है। पगावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner